में बनेगा? उपसभापति महोदय, महत्वपूर्ण बात यह है कि डी॰टी॰एच॰ या सूचना क्रांति के माध्यम से प्राप्त तमाम सुविधाएं आज हमारे घरों में अश्लीलता परोस रही हैं। इसके साथ ही लोगों को सूचना प्राप्ति का अधिकार और देश की संस्कृति की सुरक्षा — ये तमाम चीजें जुड़ी हुई हैं, इसलिए माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करें कि इस बारे में कानून कब तक और कितने समय में बन जाएगा?

श्री संजय निरुपम: रेगुलेटर कब तक आ जाएगा?

SHRI S. JAIPAL REDDY: Sir, the hon. Member was the Minister in the Ministry of Information and Broadcasting. He knows the time that is taken in law-making. May I draw his attention to the Broadcasting Authority Bill which I had the privilege of introducing. I am trying to dust up that file, and I will bring forward the Bill as soon as possible.

दलितों का उत्पीड़न किये जाने की घटनाएं

*262. श्री पी॰ के॰ माहेश्वरी: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मौजूदा समय में दलितों का उत्पीड़न किये जाने की घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन घटनाओं को रोकने के लिए कोई कार्य योजना बना रही है;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में कोई निगरानी एजेंसी गठित करने का विचार रखती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ): संवैधानिक प्रावधानों के अनुसरण में, संसद के दो अधिनियम नामश: सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में अत्याचार निवारण, कानूनी सहायता, विशेष सैल, विशेष न्यायालय तथा सभी स्तरों पर मानीटरिंग के लिए एक ढांचा बनाए जाने की व्यवस्था का उल्लेख है। इन

अधिनियमों में यह भी व्यवस्था है कि इन अधिनियमों के उपबंधों के अनुसरण में, राज्य सरकारों और भारत सरकार द्वारा किए गए उपायों पर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विशेष सैल कार्य कर रहे हैं तथा 9 राज्यों में अनन्य विशेष न्यायालय भी कार्य कर रहे हैं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग संवैधानिक सुरक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और मानीटरिंग भी करता है और उनके कार्यकरण का मूल्यांकन भी करता है।

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत, मुख्य रूप से प्रशासनिक, प्रवर्तन तथा न्यायिक तंत्र को सुदृढ़ करने, चेतना सृजन एवं प्रभावित व्यक्तियों को राहत व पुनर्वास हेतु राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उचित केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

Oppression of downtrodden

†*262. SHRI P.K. MAHESHWARI: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the incidents of oppressions of downtrodden taking place in the present time;

(b) if so, whether Government are formulating any action plan to check such incidents;

(c) whether Government propose to constitute any monitoring agency in this regard;

(d) if so, details thereof; and

(e) if not, the effective measures being taken by Government?

THE MINISTER OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MEIRA KUMAR): (a) to (e) A statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) to (e) In furtherance of the Constitutional provisions, two Acts of Parliament, namely, the Protection of Civil Rights Act, 1955 and the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities)

†Original notice of the question was received in Hindi.

Act, 1989 provide the framework for prevention of atrocities, legal aid, special Courts and monitoring at all levels. The Acts also provide for laying Annual Reports on the measures taken by the State Governments and Government of India in pursuance of the provisions of the Acts. Special Cells are functioning in 19 States/Union Territory and exclusive Special Courts are also functioning in 9 States.

The National Commissions for Scheduled Castes and Scheduled Tribes also investigate and monitor all matters relating to the Constitutional safeguards and also evaluate their working.

Under the Centrally Sponsored Scheme for implementation of the Protection of Civil Rights Act, 1955 and the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, due Central assistance is provided to State Governments and Union Territory Administrations mainly for strengthening of the administrative, enforcement and judicial machinery, awareness generation, and relief and rehabilitation of the affected persons.

SHRI P. K. MAHESHWARI: Sir, even after 57 years of Independence, the incidents of oppression of the downtrodden are on the increase. The awareness which has been created, the laws which have been enacted and the steps which have been undertaken so far, have not achieved the desired results. I would like to know from the hon. Minister whether she has the power to ask the State Governments to execute these laws, and whether she has directed the State Governments to be more pro-active.

SHRIMATI MEIRA KUMAR: Sir, I appreciate the concern of the hon. Member about the oppression of SCs/STs. There are Parliament Acts, the PCR Act and POA Act, which deal with untouchability and atrocities on SCs/STs.

So far as atrocities on SCs/STs are concerned, it is actually a subject-matter of the States. But because these two Acts are Acts of Parliament, we monitor them and we ask the States to send us reports about incidents of atrocities. They are supposed to have cells; they are supposed to have monitoring and vigilance committees; and they are supposed to have special courts, exclusive courts.

The Prevention of Atrocities Act of 1989 is a very stringent Act. From time to time, our Ministry writes to Chief Secretaries of the States; and if

the incidents are major ones, I also write to the Chief Ministers of States. We are constantly monitoring it.

SHRI P.K. MAHESHWARI: Sir, does the hon. Minister have any information as to the number of cases that have been registered; and how many of them have resulted in conviction?

SHRIMATI MEIRA KUMAR: The cases registered under the Protection of Civil Rights Act, 1955, and the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, are as follows. In 1998, 611 cases were registered under the PCR Act, and 27,561 cases were registered under the Prevention of Atrocities Act; in 1999, 526 cases were registered under the PCR Act and 26285 cases registered under the POA Act; in 2000, 856 cases were registered under the PCR Act and 30,315 cases were registered under the POA Act and 30,022 cases were registered under the POA Act; in 2002, 526 cases were registered under the PCR Act, and 27,894 cases registered under the POA Act; as per the latest — till 16th December, 2004 — figures, 645 cases were registered under the PCR Act and 22,066 cases were registered under the POA Act.

Sir, so far as conviction rate is concerned, I would like to submit that the conviction rate under the POA Act is 10.36 per cent and under the PCR Act, it is 11.87 per cent.

श्री मूल चन्द मीणा: उपसभापति महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मंत्री महोदया बता रही थी कि हमने दो अधिनियम बनाए हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989, विशेष सैल, विशेष न्यायालय, मानिटरिंग का एक ढांचा बनाया गया। उसके बावजूद भी दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। मेरे साथी सदस्य ने उनसे यह क्वेश्चन पूछा था कि अत्याचार बढ़ रहे हैं, इनको रोकने के लिए क्या कोई विशेष मानिटरिंग या विशेष कानून बनाने की सरकार की मंशा है? आपने कह दिया स्टेट गवर्नमेंट लागू करती है। हमने तो कानून बना दिए, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है। आजादी के 55 सालों के बाद भी दलितों पर इस प्रकार के अत्याचार होते हैं, दूल्हे को घोड़ी पर बैठने नहीं दिया जाता है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: सवाल कीजिए।

श्री मूल चन्द मीणा: क्वेश्चन ही तो कर रहा हूं। दलितों के साथ अत्याचार की बात बता रहा हूं कि घोड़ी पर बैठने पर बारात को पीटा जाता है, बारातियों को मार दिया जाता है। ऐसी घटनाएं बहुत होती हैं। मंत्री महोदया, आप भी दलित समाज से हैं। इन दलितों पर अत्याचार रोकने के लिए क्या कोई विशेष कानून बनाने की आपकी योजना है?

श्रीमती मीरा कुमार: उपसभापति महोदय, सम्मानित सांसद ने जो पीड़ा व्यक्त की है, मैं उस पीड़ा को जानती हूं क्योंकि मैं दलित समाज की हूं। मगर जो दलित समाज से नहीं भी हैं वे भी उस पीड़ा को समझते हैं और हम सब चिन्तित हैं कि आज भी हमारे समाज में, हमारे देश में ये घटनाएं घट रही हैं। इसके बावजूद कि कानून बनाए गए हैं और विशेष रूप से जो 1989 में कानून बनाया गया है, वह बहुत सख्त होने के बावजूद, ये घटनाएं घट रही हैं और लगभग हर प्रान्त से उसकी खबर आती रहती हैं। हम लोग निरन्तर उनसे सम्पर्क में रहते हैं और उसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। लेकिन जैसा कि सब को ज्ञात है, यह जो लॉ एण्ड ऑर्डर का विषय है, जिसके अन्तर्गत यह आता है, अंततोगत्वा वह स्टेट का विषय है। हम यहां से इस कानून की मॉनिटरिंग, निगरानी, निरन्तर करते रहते हैं और हर समय उनके सम्पर्क में रहकर उन पर यह दबाव भी डालते रहते हैं कि वे जो एट्रोसिटी प्रोन एरियाज हैं, वहां पर विधि व्यवस्था पर ज्यादा नजर रखें, पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन्स हैं, सिविल सोसायटीज़ हैं, उनके निरंतर सम्पर्क में रहें और वहां पर कार्य करते रहें। जो मानसिक बदलाव की, एटीच्यूडनल चेंज की, स्थिति समाज में आनी चाहिए, उसको लाने के लिए हर तरह से जो हमारा प्रचार माध्यम है। उसके माध्यम से इस कानून के प्रावधान की जानकारी जनता को देते रहें, जो पीड़ितजन हैं उनको भी और जो सर्वसाधारण हैं उनको भी। यह निरन्तर हमारा चिंता का विषय है और हम इस पर निगरानी रखते हैं।

SHRIMATI VANGA GEETHA: Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir. Hon. Minister has given a detailed reply. But it does not give any clarity over the implementation of reservations and implementation of protection of civil rights and Scheduled Castes and Scheduled Tribes' prevention of atrocities. The fact is that on one pretext or the other, the implementation of reservations has not achieved the required percentage, whether it is in service or in any other field. I would like to know from the hon. Minister whether the Government has any proposal to take any action against the officers concerned who are wilfully avoiding the implementation of reservations of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act. If so, what is the action taken by the Government?

SHRIMATI MEIRA KUMAR: Sir, I would require a separate notice for this.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, there are sixteen requests for this question. No doubt this is a very important question. Instead of allowing everbody, we can have a Half-an-Hour Discussion on this.

श्रीमती सरला माहेश्वरी: सर, समय यह कहां है? ...(**व्यवधान**)... हाफ-एन-आवर डिसकशन के लिए समय कहां रहा है? इस सेशन के आज को मिलाकर चार दिन रहते हैं, आगे इस डिसकशन के लिए इस सत्र में टाइम कहां है? ...(**व्यवधान**)...

डा॰ फारूक अब्दुल्ला: ऑनरेबिल डिप्टी चेयरमैन सर, आपके हाफ-एन-आवर डिसकशन के निर्देश से पहले मैं माननीया मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैडम, आप यह बता दीजिए कि जब आप सरकार को लिखती हैं और सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं करती है, न सिर्फ जो उन पर एट्रोसिटीज होती हैं उन पर, बल्कि उनके लिए जो कंस्टीटयूशनल रिजर्वेशन रखी गई हैं, वहां तक भी वे पूरी नहीं की जाती हैं, तो क्या कभी आप यहां से चिट्ठी लिखने के बगैर और भी कोई एक्शन करती हैं या कर सकती हैं कानून के तहत? आप इतना हाऊस को बता दीजिए।

श्रीमती मीरा कुमार: उपसभापति जी, माननीय सांसद ने दो प्रश्न पूछे हैं, एक तो अत्याचार से संबंधित है और दूसरा आरक्षण से संबंधित है। जहां तक अत्याचार से संबंधित प्रश्न का सवाल है, जो अधिनियम है- पीओए, उसके अंतर्गत हम पत्र लिखते हैं, निगरानी करते हैं, उनसे संपर्क में रहते हैं, हमारे ऑफीसर्स जाते हैं।...(**व्यवधान**)... सर, जो हमारे अफसर हैं, वे वहां व्यक्तिगत रूप से जाते भी हैं, जहां यह कांड या घटना होती है और जैसा मैं बार-बार कह रही हूं कि विधि और व्यवस्था, ला एंड आर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, इस हद तक हम इसको करते हैं। जो अधिनियम है पीओए का, उसके अंतर्गत हमारे लिए ऐसी कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है कि हम उस पर कदम उठाएं। ...(**व्यवधान**)... सर, माननीय सांसद महोदय बहुत वर्षों का अनुभव रखते हैं और ये एक महत्वपूर्ण स्टेट को बहुत बरसों तक चला चुके हैं, यही बताएं कि जब स्टेट गवर्नमेंट के लोग नहीं सुनते हैं, बार-बार लिखने पर नहीं सुनते हैं तो क्या किया जाए? इसके बारे में आप ही सुझाव दें।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Next question. Shri Gandhi Azad.

*263. [The questioner (Shri Gandhi Azad) was absent for answer *vide* page 24]

WELCOME TO PARLIAMENTARY DELEGATION FROM PAKISTAN

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, I have an announcement to make. We have with us, seated in the Special Box, members of a parliamentary delegation from Pakistan, currently on visit to our country under the distinguished leadership of His Excellency Chaudhary Amir Hussain, Speaker of the National Assembly of Pakistan.

On behalf of the Members of the House and on my own behalf, I take pleasure in extending a hearty welcome to the leader and other members of the delegation and wish our distinguished guests an enjoyable and fruitful stay in our country. We hope that during their stay here they would be able to see and learn more about our parliamentary system, our country and our people, and that their visit to this country will further strengthen the friendly bonds that exist between India and Pakistan. Through them, we convey our greetings and best wishes to the Parliament and the friendly people of Pakistan.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

Special package to boost exports

*264. SHRI GIREESH KUMAR SANGHI:††
DR. T. SUBBARAMI REDDY:

Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government propose special packages for boosting exports in the textiles, tea and coffee industries as a follow-up to the Foreign Trade Policy;

(b) if so, whether Government have felt a need for special emphasis on some sectors in which the country had natural abilities;

(c) if so, the details of the packages prepared in regard to tea and coffee; and

(d) by when these are likely to be announced and implemented?

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI KAMAL NATH): (a) to (d) Besides promoting all exports, the new Foreign Trade

---

††The Question was actually asked on the floor of the House by Shri Gireesh Kumar Sanghi.